

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- भवानी सिंह

विपक्षी :- केसर कुंवर

किस्म मुकदमा :- 212 आरटीएक्ट

पत्रावली संख्या :- 31/21 प्रार्थना पत्र

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.10.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद का आज निस्तारण किया जाकर खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

